रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2014/माघ 28, 1935
No. 353] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2014/MAGHA 28, 1935

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 **फरवरी, 2014**

का.आ. 418(अ).—**कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की दिनांक 13 मई, 2011 की अधिसूचना सं.** का.आ. **1045(अ) द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित कार्यकारी समिति के सदस्यों के तौर पर नियुक्त करती है, अर्थात् :–**

(ग) धारा 5कक की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त

अध्यक्ष

1. सचिव, भारत सरकार,
श्रम और रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।

(ख) धारा 5कक की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियुक्त

2. अपर सचिव, भारत सरकार,
श्रम और रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।

3. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
श्रम और रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।

(ग) धारा 5कक की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत नियुक्त

4. प्रतिनिधि, कर्नाटक सरकार, श्रम विभाग, कर्नाटक

5. प्रतिनिधि, महाराष्ट्र सरकार, श्रम विभाग, महाराष्ट्र

6. प्रतिनिधि, पश्चिम **बंगाल, श्रम विभाग,** पश्चिम **बंगाल**

(घ) धारा 5कक की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अंतर्गत नियुक्त

7. डा. यू.डी. चौबे

8. श्री बदीश जिन्दल

9. श्री रवि विज (ढाई वर्ष की पहली अवधि के लिए तथा श्री शरद पाटील ढाई वर्ष की अगली अवधि के लिए श्री रवि वीज का स्थान लेगे)।

(ङ) धारा 5कक की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) के अंतर्गत नियुक्त

10. श्री जी. संजीव रेड्डी

11. श्री एम. जे. राव

12. श्री ए. डी. नागपाल

(च) धारा 5कक की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के अंतर्गत नियुक्त

13. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

[फा. सं. वी-20012/1/2006-एसएस-II]
अरूण कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2014

S.O. 418(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5AA of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby appoints, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, the following persons as members of the Executive Committee constituted under the said Act in place of persons appointed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1045(E), dated the 13th May, 2011 namely :—

(a) Appointed under clause (a) of sub-section (2) of Section 5AA.

Chairperson-

1. Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour and Employment,
Shram Shakti Bhawan, New Delhi.

(b) Appointed under clause (b) of Sub-Section (2) of Section 5AA.

2. Additional Secretary to the Government of India,
   Ministry of Labour and Employment,
   Shram Shakti Bhawan, New Delhi.

3.Joint Secretary and Financial Advisor,
   Ministry of Labour and Employment,
   Shram Shakti Bhawan, New Delhi.

(c) Appointed under clause (c) of Sub-Section (2) of Section 5AA.

4. Representative of the Government of Karnataka, Labour Department, Karnataka.
5. Representative of the Government of Maharashtra, Labour Department, Maharashtra.
6. Representative of the Government of West Bengal, Labour Department, West Bengal.

(d) Apointed under clause (d) of Sub-Section (2) of Section 5AA.

7. Dr. U.D. Choubey
8. Shri Badish Jindal
9. Shri Ravi Wig (For the first term of two and a half years and Shri Sharad Patil to replace Shri Ravi Wig for next term of two and half years).

(e) Appointed under clause (e) of Sub-Section (2) of Section 5AA.

10. Shri G.Sanjeeva Reddy
11. Shri M.J. Rao
12. Shri A.D.Nagpal

(f) Appointed under clause (f) of Sub-Section (2) of Section 5AA.

13. The Central Provident Fund Commissioner, EPFO,
    14-Bhikaji Cama Place,
    New Delhi-110066.

[F. No.V-20012/1/2006-SS.II]

ARUN KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.